<u>महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या-540/83-2025</u>

प्रेषक,

संयुक्ता समद्दार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी/नियंत्रक,
समस्त जनपद, उ०प्र० ।

नागरिक सुरक्षा अनुभाग लखनऊ: दिनांक 23 जून, 2025

<u>विषय:</u> नागरिक सुरक्षा कोर में स्वयंसेवकों/सदस्यों की भर्ती के सम्बन्ध में ।

महोदय,

आप अवगत हैं कि नागरिक सुरक्षा कोर की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा 'नागरिक सुरक्षा अधिनियम,1968' प्रख्यापित है, जो समस्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर प्रभावी है । वर्ष 1968 में नागरिक सुरक्षा विभाग की स्थापना वाह्य युद्ध एवं आक्रमण से सुरक्षा हेतु देश/प्रदेश के सुभेद्य नगरों में जीवन की रक्षा करने, सम्पत्ति की हानि को कम करने, उत्पादन की निरन्तरता को बनाये रखने व जनता के मनोबल को बनाये रखने के उद्देश्य से की गई थी । वर्ष 2010 में भारत सरकार द्वारा "नागरिक सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2009 "पारित करके किसी भी प्रकार के "आपदा प्रबन्धन" का कार्य वैधानिक रूप से नागरिक सुरक्षा विभाग के कार्यों में सम्मिलित किया गया है ।

नागरिक सुरक्षा विनियम, 1968 के अंतर्गत नागरिक सुरक्षा संगठन के कार्यों को पारिभाषित किया गया है, जिसमें प्रशिक्षण, अभ्यास/प्रदर्शन एवं हवाई हमले से जन-धन की सुरक्षा, शांतिकाल में नागरिक सुरक्षा नगर की नागरिक आबादी को भावी युद्ध तथा उससे उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिये प्रशिक्षित करना, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों तथा नागरिकों हेतु माक ड्रिल प्रदर्शन/अभ्यासों का आयोजन करना, आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिक सुरक्षा उपायों के त्वरित कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक नगर स्तर पर नागरिक सुरक्षा योजना तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा योजना बनाना इत्यादि शामिल है ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उल्लेखनीय है कि नागरिक सुरक्षा संगठन एक स्वयंसेवी संगठन है। संगठन के स्वयंसेवक/ अवैतनिक पदाधिकारी निष्काम भावना से प्रेरित होकर संगठन से जुड़ते हैं तथा उनके द्वारा उक्त कार्यों के साथ-साथ विभिन्न त्योहारों, मेलों एवं प्राकृतिक आपदा यथा-बाढ़, भूकम्प व अन्य जनकल्याणकारी कार्यों एवं प्रशासन द्वारा संचालित किये जाने वाले विभिन्न अभियानों में भी निरन्तर सक्रिय सहयोग किया जाता है।

2- नागरिक सुरक्षा विभाग एवं नागरिक सुरक्षा संगठन की बढ़ती भूमिका के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में इसका विस्तार करते हुए समस्त 75 जनपदों में नागरिक सुरक्षा कोर की स्थापना कर दी गयी है एवं समस्त 75 जनपद नागरिक सुरक्षा जनपद हो गए हैं । जनपद में जिलाधिकारी नागरिक सुरक्षा कोर का नियंत्रक होता है, जो नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 के अंतर्गत प्रावधानित व्यवस्थाओं के अनुसार कार्य निष्पादन करता है ।

नागरिक सुरक्षा कोर के समस्त अवैतनिक स्वयंसेवकों/सदस्यों की भर्ती एवं कोर के अवैतनिक पदों यथा-चीफ वार्डेन से सेक्टर वार्डेन आदि के रिक्त पदों पर नियुक्ति/तैनाती जिलाधिकारी/नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा के स्तर से की जानी होती है । नागरिक सुरक्षा कोर में स्वयंसेवकों/सदस्यों की भर्ती हेतु अर्हताएं भारत सरकार के नागरिक सुरक्षा अधिनियम (Act), 1968, विनियमन नागरिक सुरक्षा (Regulations), 1968 एवं नागरिक सुरक्षा नियम (Rules), 1968 में निर्धारित हैं ।

3- अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया नागरिक सुरक्षा कोर में स्वयंसेवकों/सदस्यों की भर्ती भारत सरकार के नागरिक सुरक्षा अधिनियम (Act), 1968, विनियमन नागरिक सुरक्षा (Regulations), 1968 एवं नागरिक सुरक्षा नियम (Rules), 1968 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत तथा उक्त प्रावधानों के साथ ही निम्नलिखित सुझावात्मक बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए यथाशीघ्र करने का कष्ट करें:-

(1) नागरिक सुरक्षा कोर में स्वस्थ्य एवं सक्रिय सदस्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अधिकतम 60 वर्ष की आयु वाले स्वयंसेवकों/सदस्यों की भर्ती का प्रयास किया जाये ।

(2) नागरिक सुरक्षा कोर में महिला एवं युवा स्वयंसेवकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिए जाने का प्रयास किया जाये ।

(3) समय के साथ शिक्षा के स्तर में हुई वृद्धि एवं आधुनिक कार्य प्रणाली व तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता तथा नवअनुप्रयोगों के बेहतर उपयोग के दृष्टिगत कोर में स्वयंसेवकों के शिक्षा के स्तर का भी उच्च होना श्रेयस्कर होगा । अतएव कोर में हाईस्कूल या उच्च शिक्षित स्वयंसेवकों की भर्ती का प्रयास किया जाये ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) प्रायः यह देखा गया है कि कोर के पदों पर पूर्व से तैनात स्वयंसेवकों/सदस्यों को ही पुनः पदों पर तैनाती दे दी जाती है । अतएव कोर में आम जनमानस की रुचि बढ़े, इस हेतु नये-नये सदस्यों की कोर में भर्ती की जाये तथा उन्हें कोर के विभिन्न पदों पर पहुँचने के लिए प्रोत्साहित किया जाये एवं अवसर प्रदान किये जायें ।

भवदीया,
संयुक्ता समद्दार
प्रमुख सचिव ।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1-निदेशक, नागरिक सुरक्षा, उ०प्र०, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-833/अनु-1/बैठक/14/5/25, दिनांक, 30.05.2025 के सन्दर्भ में ।
2- कमाण्डेंट, केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र०, लखनऊ ।
3- उप नियंत्रक, समस्त नागरिक सुरक्षा जनपद ।
4- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
मनोज कुमार राय
विशेष सचिव |

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।